कार्यालय : महाप्रबन्धक जलकल विभाग, नगर निगम, गोरखपुर

पत्रांक : 03/म0प्र0/जलकल/2022–23 दिनांक : 10/05/2022

ई- निविदा सूचना

जलकल विभाग, नगर निगम, गोरखपुर द्वारा ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से निम्न कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। अधूरी एवं सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेंगी, ई–निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा, यदि निविदा खोलने की नियत तिथि को अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस में निविदा खोली जायेगी। निविदा सूचना नगर निगम, की वेबसाईट http://etender.up.nic.in" पर भी उपलब्ध है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	निविदा मूल्य रू0	धरोहर धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4
1.	महानगर में स्थापित 58 अदद नलकूपों के साथ–साथ नलकूपों से जुड़े 21 अदद ओ0एच0टी0 जो कि अमृत योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 जल निगम द्वारा आटोमाईज कराये गये है इन सभी नलकूपों व ओ0एच0टी0 के संचालन एवं कम्पलीट अनुरक्षण का कार्य समस्त वांछित तकनीकी कर्मियों के साथ।	Rs. 1500/- GST Rs. 270/- Rs. 1770/-	1,51,600.00 प्रतिवर्ष

नोट : निविदा सूचना तथा निविदा से सम्बन्धित ई–टेण्डरिंग प्रणाली में प्रतिभाग करने हेतु निविदादाताओं को ई–प्रक्योरमेन्ट वेबसाईट http://etender.up.nic.in पर पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

1. निविदा सूचना तथा निविदा से सम्बन्धित समस्त शर्ते एवं अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड कर दी जायेंगी। आनलाइन बिड दिनांक 14/06/2022 को अपरान्ह 12.00 बजे तक या इससे पूर्व ई–निविदा वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर अनिवार्य रूप से आनलाइन अपलोड कर दी जाय। टेक्निकल बिड दिनांक 15/06/2022 को सांय 4.00 बजे खोली जाएगी।

   निविदा प्रपत्र क्रय हेतु नानरिफन्डेबुल शुल्क इण्टरनेट बैकिंग/RTGS/NEFT के माध्यम से नगर निगम, गोरखपुर के खाता संख्या 100058883207 (IFS Code : INDB0000150) इण्डसइड बैंक, शाखा पार्क रोड गोरखपुर में समय से जमा कराना अनिवार्य हो।
2. सर्वप्रथम Technical Bid खोली जायेगी, जिसके मूल्यांकन उपरान्त ही आहर्ता योग्य फर्मो की ही Financial Bid खोली जायेगी, जिसकी तिथि तदनुसार ऑनलाईन घोषित की जायेगी।
3. निविदादाता/फर्म का वार्षिक टर्न ओवर रू0 1 करोड़ (एक करोड़) या उससे अधिक का होना चाहिये, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (EMD) की प्राप्ति हेतु आन लाइन व्यवस्था की गयी है। निविदादाताओ द्वारा ई–टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रो के अतिरिक्त मूल अभिलेखो एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (EMD) संबधी एवं प्राप्त ट्रान्जेक्शन नम्बर को निविदा के समय अपलोड किया जायेगा तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने अर्थात निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से सत्यापन हेतु विभाग/कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (EMD) की मूल प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर निविदादाता के विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जाये तथा उसका पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने की भी कार्यवाही की जायेगी।
5. निविदा की शेष शर्ते निविदा प्रपत्र मे उपलब्ध है एवं किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय मे देखी जा सकती है।
6. निविदा प्रपत्र की सभी शर्ते मान्य होगी यदि कोई शर्त निविदादाता द्वारा पूर्ण नही की जाती है तो उसकी निविदा निरस्त मानी जायेगी।

11/5/22 12/5/2022

महाप्रबन्धक (जलकल)
नगर निगम, गोरखपुर

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

प्रतिलिपि :

1. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर को उक्त निविदा सूचना नगर निगम, गोरखपुर की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

11/5/22

महाप्रबन्धक (जलकल)
नगर निगम, गोरखपुर

jalkal

कार्यालय महाप्रबन्धक जलकल विभाग, नगर निगम, गोरखपुर

टेक्निकल बिड हेतु वांछित प्रपत्र – 1

संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रों की सूची

1. जमा निविदा शुल्क का विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा मे संलग्न की गयी धरोहर राशि महाप्रबन्धक जलकल के पक्ष में बन्धक होगी, का विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा शुल्क/धरोहर राशि समय से निगम के खाते मे जमा होना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में उस निविदा पर किसी भी प्रकार से विचार नही किया जायेगा।
4. निविदादाता को जिलाधिकारी द्वारा जारी अद्यतन चरित्र–प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति तकनीकि बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को न्यूनतम 40 लाख का हैसियत प्रमाण पत्र जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय द्वारा जारी अथवा मान्यता प्राप्त बैंक से 40 लाख की साल्वेन्सी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्या होगा।
6. निविदादाता को जी0एस0टी0 एवं आयकर में पंजीकरण का प्रमाण पत्र (पैन नं0 व जी0एस0टी0 नं0) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. लिक्विड एसेट्स उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
8. सी0ए0 द्वारा विगत दो वर्षो 2020–21 एवं 2021–22 की प्रमाणित बैलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. विगत दो वर्ष 2020–21 व 2021–20 की I.T.R. की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. निविदादाता को किसी भी सरकारी/अर्द्वसरकारी विभाग में न्यूनतम 20 नलकूपों के आटोमेशन पम्पों का अनुरक्षण/संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र जो विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
11. निविदिदाता को नगर निगम, गोरखपुर अथवा यू0पी0 इलेक्ट्रिोनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा, यदि पंजीकरण है तो पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना होगा।
12. श्रम विभाग में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रमाण पत्र संलग्न करें।
13. ई0पी0एफ0ओ0 मे पंजीकरण अनिवार्य है। प्रमाण पत्र संलग्न करें।
14. अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी दशा में कार्यादेश, अनुबन्ध पत्र मान्य नही होगा।
15. निविदादाता को विद्युत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत उ0प्र0 विद्युत निगम द्वारा जारी ''क'' श्रेणी का लाईसेन्स की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। बिना लाईसेन्स के निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
16. फर्म/संस्था को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म/संस्था कहीं किसी भी सरकारी/अर्द्वसरकारी संस्था में पिछले 05 वर्ष में ब्लैक लिस्टेड नही रही है।
17. क्रम सं0 01 से 16 तक के सभी प्रमाण पत्र निविदा की तकनीकी बिड मे ऑन लाइन अपलोड करना/संलग्न करना अनिवार्य होगा।

सहमत

फर्म के हस्ताक्षर एवं मुहर

11/5/22
महाप्रबन्धक जलकल

Jalkal

कराये जाने वाले कार्य (Scope of Work)

1. चयनित फर्म को नलकूपों पर लगे आटो पैनल को सदैव संचालित स्थिति मे रखना होगा।
2. डाटा मानीटर पर वोल्टेज, फेज, पम्प के चालू व बन्द होने की समस्त जानकारी कन्ट्रोल रूम एवं मोबाईल एप्प पर प्रदर्शित होना अनिवार्य है।
3. अनुरक्षण कार्य मे जैसे डोजर, पम्पसेट, आटो पैनल का अनुरक्षण व मोटर रिवाईन्डिंग, आपरेशन मेन्टीनेन्स, लोरिंग लिफ्टिंग इत्यादि फर्म को निःशुल्क कराना होगा।
4. यदि नलकूप पर लगा मोटर पम्पसेट / केबल / डोजर बिल्कुल खराब हो जाता है जिसकी मरम्मत नही हो सकती है तो उसे विभाग द्वारा नया उपलब्ध कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में विभागीय अभियन्ता एवं मैकेनिक / इलेक्ट्रीशियन की जाँच आख्या प्राप्त की जायेगी।
5. नलकूप विद्युत उपलब्धता के आधार पर आवश्यकतानुसार निरन्तर 24 घन्टे अथवा विभागीय निर्देशानुसार चलाना होगा एवं इसका प्रतिदिन रिकार्ड आनलाइन सम्बन्धित सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ता के साथ विभागीय मेल पर भी उपलब्ध कराना होगा।
6. नलकूपों के पम्प हाउस / परिसर में उपलब्ध समस्त यन्त्रों / संयन्त्रों आदि की सुरक्षा का दायित्व फर्म का होगा।
7. पम्प हाउस के अन्दर नलकूप सम्बन्धी किसी प्रकार की खराबी आने पर फर्म द्वारा सम्बन्धित अवर अभियन्ता / सहायक अभियन्ता को तत्काल सूचना दी जायेगी।
8. सभी नलकूपों की समस्त दिवसों **(रविवार को भी)** में चलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
9. प्रत्येक नलकूप के साथ क्लोरिनेशन के लिये लगाये गये सभी डोजर्स के अनुरक्षण एवं संचालन की जिम्मेदारी भी फर्म की होगी।
10. जलकल में स्थापित MCS Room के समस्त उपकरणों की सुरक्षा एवं नलकूपों पर लगे सिम कार्ड व इण्टरनेट के रिचार्ज फर्म को देय करना होगा।

सहमत

फर्म के हस्ताक्षर एवं मुहर

11/5/22

महाप्रबन्धक जलकल

निविदा हेतु विशेष शर्ते

1. निविदा कार्यकाल की वैधता अनुबन्ध के अनुसार मान्य होगी।
2. नलकूपों की संख्या आवश्यकतानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
3. श्रमिकों की संख्या अलग–अलग कार्यों अनुसार घोषित करना होगा।
4. निविदादाता फर्म का पंजीयन श्रम विभाग मे होना अनिवार्य है तथा निविदादाता द्वारा शासकीय एंव समय–समय पर जारी श्रम विभाग के नियमों का पालन किया जायेगा।
5. विगत माह का ई0पी0एफ0ओ0 में जमा पी0एफ0 की इन्वायस प्रस्तुत करने पर ही श्रमिकों का अगले क्रमिक बिल का भुगतान किया जायेगा।
6. निर्धारित शर्तों के अनुसार डाली गयी निविदा पर ही विचार किया जायेगा। सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
7. नलकूप अनुरक्षण एवं संचालन के दौरान यदि कोई दुर्घटना, कार्य स्थल पर होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। इस सम्बन्ध में सभी लेन–देन व क्षतिपूर्ति फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। फर्म द्वारा मेन्टीनेन्स कार्य हेतु तैनात किसी कर्मचारी का जलकल विभाग, नगर निगम, गोरखपुर से कोई सीधा सम्बन्ध नही होगा, और न ही वह विभाग में नौकरी के लिये दावा कर सकेगा।
8. एक माह की अवधि के पश्चात् बिल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा सन्तोषजनक सेवा के उपरान्त ही फर्म के बिल का भुगतान किया जायेगा।
9. वर्तमान समय में दरें फिलहाल एक वर्ष हेतु आमंत्रित की जा रही है। कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर आगामी वर्षो हेतु अनुबन्ध पर विचार किया जायेगा। तदनुसार धरोहर / जमानत धनराशि भी जमा कराई जायेगी।
10. यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण आर्ब्रिट्रेटर द्वारा किया जायेगा। आर्ब्रिट्रेटर मात्र नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर होंगे जिनका निर्णय अन्तिम एवं उभय पक्ष को मान्य होगा।
11. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार, सक्षम अधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर मे निहित होगा।
12. निविदा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध की कार्यवाही निर्धारित प्रारूप पर करनी होगी।
13. संचालन एवं अनुरक्षण कार्य हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संपत्तियों, संयत्रों को अनुबन्ध समाप्त होने के पश्चात उसी स्थिति में विभाग को वापस उपलब्ध कराना होगा।
14. निविदा से सन्दर्भित मांगे गये सभी प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है मांगे गये प्रमाण पत्र यदि टेक्निकल बिड खोले जाने पर नही पाये जाते हैं तो उस निविदा पर अग्रिम विचार नही किया जायेगा।
15. संलग्न प्रमाण पत्रों की सत्यता हेतु हल्फनामा (नोटरी) संलग्न करना अनवार्य होगा।
16. यदि फर्म / संस्था द्वारा संलग्न कोई प्रपत्र जॉच के दौरान असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म / संस्था के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा ब्लैक लिस्टेड कराये जाने की कार्यवाही भी की जायेगी।
17. किसी वाद की दशा में न्याय क्षेत्र गोरखपुर नगर होगा।

सहमत

फर्म के हस्ताक्षर एवं मुहर

11/5/22

महाप्रबन्धक जलकल